रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2017/भाद्र 20, 1939
No. 345] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2017/ BHADRA 20, 1939

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (तीसरा संशोधन) विनियम 2017

सं. पीएफआरडीए /12 आरजीएल/139/10.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23), की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठनीय उपधारा (2) के खंड (ब.) और धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड(घ.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामत:—

1 इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 है।

2 ये आधिकारिक राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

3 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 में:

(I) विनियम 8 के उप-विनियम (ii) को, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"सेवानिवृत्ति सलाहकार जो कि कोई व्यक्ति या स्वामित्व प्रतिष्ठान का मालिक है, अपना कारोबार प्रारंभ करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण के समय रुपये दस हजार की सुरक्षा राशि बैंक सावधि जमा रसीद या निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्राधिकरण को जमा कराएगा । यह बैंक सावधि जमा रसीद या निष्पादन बैंक गारंटी जो कि जमा की

जाएगी रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक या नई अवधि अनुदत्त होने के उपरांत छ: माह की अवधि तक वैध रहेगा । प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा,अधिवर्धित न होने तक, यदि ऐसा जमा प्राप्त नहीं होता है तो रजिस्ट्रीकरण रद्द होना उत्तरदायी होगा ।"

(II) प्रथम अनुसूची के प्रपत्र 'क ' के अंतर्गत (विनियमन 3 और 11 को देखें):

(i) क्रम संख्या 3 के तहत (कारोबार की योजना) उप-शीर्षक (2) को निरस्त माना जायेगा।
(ii) क्रम संख्या 4 के तहत (आधारभूत अवसंरचना का विवरण) उप-शीर्षक (1) को निरस्त माना जायेगा और उप-शीर्षक (2) को उप-शीर्षक (1) माना जाएगा।

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III / 4/असा./215/17]

पाद टिप्पणी

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को अधिसूचना संख्या पीएआरडीए/12/आरजीएल/139/1 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, में, 13 जून 2016 को प्रकाशित किया गया।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (प्रथम संशोधन) विनियम 2017 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, में, 28 अप्रैल 2017 को प्रकाशित किया गया।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार)(दूसरा संशोधन) विनियम 2017 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, में, 26 मई 2017 को प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the11th September, 2017

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (RETIREMENT ADVISER) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No.PFRDA/12/RGL/139/10.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof and clause (d) of sub-section 2 of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 namely:

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority

(Retirement Adviser) (Third Amendment) Regulations, 2017.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations 2016:-

(I) Sub-regulation (ii) of Regulation 8, shall be substituted as follows:

"Retirements Advisers who are individuals or carrying on proprietary concerns, upon registration shall provide security deposit in the form of bank fixed deposit receipt or performance bank guarantee of Rupees ten thousand to the Authority, before commencement of business. The bank fixed deposit receipt or performance guarantee to be so submitted shall be valid for a period of six months beyond the original or renewed period of registration so granted. The registration is liable to be cancelled if such deposit is not received within the time stipulated by the Authority, unless extended."

(II) In Form "A" of First Schedule (See Regulation 3 and 11) :

(i) Under serial No.3 (BUSINESS PLAN) sub-heading (2) shall stand deleted.

(ii) Under serial No.4 (DETAILS OF INFRASTRUCTURE) sub-heading (1) shall stand deleted and sub-heading (2) thereof shall be renumbered as (1).

IndiaCode

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson
[ADVT-III/4/Exty./ 215/ 17]

Footnote:

1. The principal regulations, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 was published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on June 13, 2016 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/1.

2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (First Amendment) Regulations, 2017, was published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on April 28, 2017 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/10.

3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Second Amendment) Regulations, 2017, was published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on 26th May, 2017 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/10

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.12 19:17:33 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.